



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AE 641210

समक्ष,

रिटर्निंग ऑफिसर,

वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी।

विधान परिषद, उप्रो।

शपथ-पत्र

मैं आशुतोष सिन्हा पुत्र रमेश चन्द्र सिन्हा आयु 36 वर्ष जो म0नं0
डी.57/50सी-1ए मौलवी बाग, सिद्धगिरी बाग, वाराणसी शपथपूर्वक निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अशुतोष सिन्हा
9/1
Ashish Gupta
Adm

संग्रहीत

संग्रह विभाग की स्थिति
संग्रह लेवल करने का प्रयोजन
संग्रह लेवल का नाम न दृश्य रहा
संग्रह की अवस्था अस्फूटी
कैलाश कुमार बरनाराम

संग्रह विभाग

प्रभास वा ३/१८४४
परिषद्ध उपलब्ध रहा


WU42

VI 19/7/2023

30/7/2023
20/8/2023

20/8/2023

आशुतोष सिंह



“प्रारूप-26”
(नियम 4क देखिए)



वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद (सदन का नाम) के निर्वाचन (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग - क

मैं आशुतोष सिन्हा पुत्र रमेश चन्द्र सिन्हा आयु 36 वर्ष जो म0नं0 डी.57/50सी-1ए मौलवी वाग, सिद्धगिरी वाग, वाराणसी का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

- (1) मैं समाजवादी पार्टी (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
- (2) मेरा नाम 390 वाराणसी कैन्टोमेन्ट, उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 24 के क्रम सं0 905 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा 9935697777 संपर्क दूरभाष संख्या है और ashutoshsinhamlc@gmail.com मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं।
 - (i) 9935697777 Mob. & Whatsup
 - (ii) ashutoshsinhamlc@gmail.com
 - (iii) लागू नहीं होता
- (4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः :

क्र0 सं0 <i>Sanjay Kumar</i>	नाम (स्थायी संख्या)	पीएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपए में)
1 <i>Distt. Officer OF IN</i>	स्वयं आशुतोष सिन्हा	BMEPS9515E	वर्ष 2020-21 रु. 4,76,950.00	<ul style="list-style-type: none"> (i) 2,65,300.00 (ii) 2,78,940.00 (iii) 2,92,150.00 (iv) 3,48,500.00 (v) 4,76,950.00
2	पत्नी तनु श्रीवास्तव	CYZPS7089A	वर्ष 2020-21 रु. 4,61,676.00	<ul style="list-style-type: none"> (i) 3,00,977.00 (ii) 3,35,367.00 (iii) 3,15,390.00 (iv) 2,85,197.00 (v) 4,61,676.00
3	हिन्दू, अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	शून्य	लागू नहीं होता	<ul style="list-style-type: none"> (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य

३१
31 अगस्त २०२१
Fresh Guptha

4	आश्रित - 1	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
5	आश्रित - 2	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
6	आश्रित - 3	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य

टिप्पणी: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।"

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (यदि) अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)


या

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारिणी में सभी लंबित मामलों का ब्यांग दें)

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम डिजिटल रिपोर्ट सं.	1. थाना-चेतांगज, वाराणसी मु03010सं0 200/2007	2. थाना-सिगरा, वाराणसी मु03010सं0 581/09	3. थाना-लंका, वाराणसी मु03010सं0 24/2011
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	न्यायालय नवम ए०स००५००५००, वाराणसी मु०न० 4282/2007 सरकार बनाम धीरूप कान्त मिश्रा वौ०	न्यायालय सी०ज००५०० वाराणसी मु०न० 847/2010 सरकार बनाम भीष सिंह वौ०	न्यायालय प्रथम ज००५० वाराणसी मु०न० 3862/2012 सरकार बनाम कमल पटेल वौ०रह
(ग)	अंतर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	धारा 188 आई०पी०सी०	धारा ६४०पा०प्रा०एकट 1956	धारा 147,341,353,188 आई०पी०सी० व ७ सी०एल००५० एकट
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	उपरोक्त क.ख.ग	उपरोक्त क.ख.ग	उपरोक्त क.ख.ग
(इ)	व्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	नहीं	नहीं
(च)	यदि उपरोक्त मद (इ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	व्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फार्झल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता


Ashutosh Gupta A.I.N

(6) दोषसिद्धि के मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प () के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)
 या
- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है। लागू नहीं होता है।
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प
 (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ग)	अंतर्विलित अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्धि किया गया है।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें।	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए विवरण के अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की ओर दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।
 (ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5 (i) और पैरा 6 (i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से "लागू नहीं होता है", लिखना चाहिए)

टिप्पणी:

- समस्त विवरण स्पष्ट व सुपृष्ठि बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
 - प्रत्येक मामले (Case) हेतु प्रत्येक मद के सापेक्ष दिये विभिन्न कॉलम में अलग- अलग विवरण दिया जाना है।
 - ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के संबंध में विवरण क्रमानुसार दिया जाए।
 - यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
 - अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं.536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।"
- (7) मैं, मेरे/मेरे पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:
 अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

30 अक्टूबर 2014
 ——————
 Gopal Chaturvedi
 ——————
 Gopal Chaturvedi
 ——————
 Gopal Chaturvedi
 ——————
 Gopal Chaturvedi

- टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
 टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में वंथ पत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू वाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।"
- टिप्पण 5- रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।
 व्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।
- स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के व्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे अभिप्रेत हैं:

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी श्रीवास्तव)	(तन् कुदुंच)	हिंदू अविभक्त कुदुंच	आश्रित-1	आश्रित -2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	200000.00	170000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा, और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें वचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सासाफ़िटियों के पास जमा और ऐसे अन्यके जमा में रकम	1. UBI, AC 436302010007484 Rs. 2,65,120.52	1. UBI AC 488402010124885 Rs. 2,33,055.00 2. UBI AC 436302120002385 Rs. 32,924.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	क्रयनया/वारस्टारक निधियों और अन्य में वधमप्रांत, हिंदूघरा/शंखरों तथा शूष्मिटों में विनिधान के व्यौरे अन्य जमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय वचत योजनाओं के वधमप्रांतों/शंखरों में विनिधान के व्यौरे और छाकधर या दीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	LIC, 566048410 Rs. 1,00,000.00	LIC 566776247 Rs. 1,00,000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें पर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान वाहन/वायुयान/याद/पोत (मोटर, रेजिस्ट्रीकरण संख्या आदि) क्रय करने का वर्ष और रकम)	यूपी० ६५ वीएम ८०५५ सफारी स्ट्रांग वर्ष २०१३ मु ६,००,०००/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

30 अक्टूबर 2014
 esh Gopal Aul

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	1. 4x4 gram सोने की अंगूठी मु0 80,000/- 2. 20 ग्राम सोने की चेन मु0 80,000/-	1. 4x3 gram सोने की अंगूठी मु0 60,000/- 2. 20 ग्राम सोने की चेन मु0 80,000/- 3. 30 ग्राम सोने का हार मु0 120000/- 4. 300 ग्राम चांदी के आभूषण मु0 30000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	सकल कुल मूल्य	13,25,120.52	8,25,979.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।



क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

301 31 अक्टूबर 2014
Ashish Gupta ADU

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)- अवस्थिति (अवस्थितियां)- सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 अष्टुतो च RST
— Ashutosh Gupta —

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त से का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




S. No. 1000000000000000 में लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यांरे नीचे देता हूँ:-
 (टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यांरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	या हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अधिकारी विवरण
— श. गुप्ता

कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थातः-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता:- लागू नहीं होता</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में निम्नलिखित के मध्य कोई शोध्य संदेय नहीं हैः-</p> <p>(क) भाटक,</p> <p>(ख) विद्युत प्रभार,</p> <p>(ग) जल प्रभार और</p> <p>(घ) लागू नहीं होता (तारीख) को टेलीफोन प्रभार (तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए)</p> <p>टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>	हाँ/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर नहीं सही निशान लगाएं)				
(iii) सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



३१ अक्टूबर २०१६
Rosh Gupta

		स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-1	आश्रित-1
(iv)	आयकर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	जीएसटी शोध्य	लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य शोध्य सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलिक रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	लागू नहीं होता	लागू होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं वकालत, सिविल कोर्ट, वाराणसी
 (ख) पत्नी सहायक अध्यापिका, सी एट कालेज, चांदमारी, वाराणसी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

- (क) स्वयं हाँ
 (ख) पति या पत्नी नौकरी

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हो लागू नहीं

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए़-

- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे : लागू नहीं होता
 (ख) सति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे : लागू नहीं होता
 (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे : लागू नहीं होता
 (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे : लागू नहीं होता
 (इ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है : लागू नहीं होता
 (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है : लागू नहीं होता

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

हाईस्कूल - 1998 ओ०पी०एम० शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश

इंटरपीडिएट- 2000 ओ०पी०एम० शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदे

बी०एस-सी० - 2003 श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

विधि स्नातक - 2010 श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

आश्रुतोष मिन्दा
 २१ नवंबर २०१४
 Adm

भाग - ख

(11) भाग- क के (1) से (10) तक में दिए गए व्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम	आशुतोष सिन्हा		
2	डाक का पूरा पता	डी.57/50सी-1ए मौलवी वाग कालोनी, सिद्धगिरीवाग, वाराणसी		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	390 वाराणसी कैन्टोमेन्ट क्षेत्र भाग सं.24 के क्र सं.905 उत्तर प्रदेश		
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	समाजवादी पार्टी		
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	3		
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है”।	लागू नहीं होता		
7		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	BMEPS9515D	वर्ष 2020-2021	476950.00
	(ख) पति या पत्नी	CYZPS7089A	वर्ष 2020-2021	476950.00
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	शून्य	शून्य	शून्य
	(घ) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8 आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू कुटुंब	अविभक्त	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)			शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ समिरण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
iii.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-							
	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व							
i.	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
ii.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य

24 अशुतोष सिंह
Fresh GMBH

10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं							
i.	सरकारी शोध्य(कुल)	शून्य						
ii.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य						
11.	<p>उच्चतम शैक्षणिक अर्हता:</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)</p>							

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 10.11.2020 को सत्यापित किया गया।

Dr. Jayant Singh
Sanjay Kumar अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथ पत्र, नामांकन फाईल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे तक फाईल किया जाना चाहिए।
टिप्पण 2. शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता"

टिप्पण 4. शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय के अधिसूचना सं0 एच-11019/04/2018-विधि-1। दिनांक 10.10.2018 और सं0 एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)

Solemnly affirming before me today
deponent identity No. 11. Rajesh Kr. Gupta Adw.
contents of the affidavit were true
to deponent who verified same to be true

Rajesh Kr. Gupta
Sanjay Kumar
Advocate No. 111120

31 अक्टूबर 2018
Sanjay Kumar
Advocate No. 111120